135

संख्या 105/XII/2012/82(01)/2011टी0सी0-।

प्रेषक,

डॉ0पी0एस0गुसांई,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चमोली।

पंचायतीराज अनुभागः देहरादून दिनांक 25 जनवरी, 2012

विषयः– पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि (बी0आर0जी0एफ0) के अन्तर्गत विकास निधि हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 की कार्ययोजना के लिये प्रथम किश्त की धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–N-11019/1157/2011-BRGF(1) दिनांक 03–01–2012 के अनुकम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि (बी0आर0जी0एफ0) के अन्तर्गत विकास निधि हेतु भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 की कार्ययोजना हेतु धनराशि अवमुक्त की गयी है। जनपद चमोली हेतु भारत सरकार से योजनान्तर्गत कुल रू 17.34 करोड़ के सापेक्ष भारत सरकार के पत्रांक संख्या–N-11019/1157/2011-BRGF(1) दिनांक 03–01–2012, संख्या–N-11019/1157/2011-BRGF(II) दिनांक 03–01–2012 एवं संख्या–N-11019/1157/2011-BRGF(III) दिनांक 03–01–2012 द्वारा अवमुक्त कमशः **रू. 7.85 करोड, रू. 1.82 करोड़ एवं रू. 0.28 करोड़** द्वारा जारी प्रथम किश्त **के सापेक्ष (सामान्य अंश रू. 7.85 करोड अनुसूचित जाति अंश रू. 1.82 करोड एवं अनुसूचित जनजाति अंश रू. 0.28 करोड़)** अर्थात् कुल धनराशि **रू. 9.95 करोड़ (रू. नौ करोड पिचानब्बे लाख मात्र)** को चालू **वित्तीय वर्ष 2011–12** में प्राविधानित धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की निम्न प्रतिबन्धों के अधीन श्री महामहिम राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

2– उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग योजना आयोग भारत सरकार द्वारा पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि के लिये निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा।

3– उक्त आवंटित धनराशि को ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, तो ऐसा व्यय, स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाये। स्वीकृत धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों/मार्ग निर्देशक सिद्वान्त के अनुसार ही सुनिश्चित किया जायेगा।

4– स्वीकृत धनराशि की योजनावार आवंटन की सूचना शासन को एक माह के भीतर उपलब्ध करायी जाय धनराशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन, भारत सरकार एवं महालेखाकार को यथासमय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायें।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिशा निर्देशों के अनुसार पूर्ण उपयोग कर इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप पर शासन एवं योजना आयोग, भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

6– यह सुनिश्चित किया जाये कि स्वीकृत धनराशि को व्यय करते समय बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति/प्रौक्योरमेन्ट रूल्स, 2008 तथा भारत सकरार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों (योजना की गाइड लाईन्स) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7– भारत सरकार द्वारा योजना मद से 5 प्रतिशत कार्यालय व्यय हेतु अनुषांगिक व्यय अनुमन्य किया गया है, जिसमें से 4 प्रतिशत धनराशि जिले स्तर पर तथा 1 प्रतिशत राज्य स्तर [illegible] BRGF सेल हेतु व्यय सुनिश्चित किया जायगा। जो योजनायें प्लान प्लस में अपलोड करते हुए भारत सरकार को भेजी गयी है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाय। जिस [illegible]

जिला योजना समिति द्वारा धनराशि अनुमोदित की गयी है यह धनराशि उसी योजना में व्यय की जायेगी। किसी भी स्थिति में अपवर्तन/परिवर्तन नही की जायेगी।

8– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्वता हेतु संबंधित जनपद के कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें। अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रत्येक माह की 25 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही कार्य की प्रगति से समय समय पर शासन को अवगत कराया जाए। अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग माह मार्च, 2012 तक कर लिया जाय।

9– वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अब तक की अवशेष राशि व वर्तमान में दी जा रही धनराशि का शत प्रतिशत उपयोग कर उपयोगिता प्रमाध–पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

10– इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या 19 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–101–पंचायतीराज–01–केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्रपुरोनिधानित योजना–104–पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि–42–अन्य व्यय **से रू. 7.85 करोड़ (रू. सात करोड़ पिचासी लाख मात्र)**, अनुदान संख्या 30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–101–पंचायतीराज–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा केन्द्रपुरोनिधनित योजनायें– 0101–पिछड़ा क्षेत्र अनुदान–42–अन्य व्यय से **रुपये 1.82 करोड़ (रू. एक करोड़ बयासी** लाख मात्र) तथा अनुदान संख्या 31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–00–796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना–11–पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज से रू. 0.28 करोड़ (रू. अठ्ठाईस लाख मात्र) की धनराशि सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जाएगा।

10– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–344(P)/XXVII(4)/2011, दिनांक 24 जनवरी, 2012 द्वारा प्राप्त निर्देशों अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं ।

11– उक्त धनराशि का व्यय निर्वाचन आदर्श आचार संहिता 2012 के दृष्टिगत किया जाएगा।

भवदीय,

(डॉ0पी0एस0गुसाई)
सचिव ।

संख्या 105(1)/XII/2012/82(1)/2011 टी0सी0–1तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

2.महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स विल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. निदेशक, पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमाउॅ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी गढवाल/चम्पावत।
6. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी टिहरी गढवाल/चम्पावत।
8. निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री के संज्ञानार्थ।
9. श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त, बजट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
10.निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, लक्ष्मी रोड, देहरादून/वित्त–1।
11.विभागीय पत्रावली/समन्वयक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून/गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(चन्द्र सिंह नेपलच्याल)
अपर सचिव।